कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट

पत्रांक: 1186 / 33–1 / दिनांक, चित्रकूट, अक्टूबर 10 2018

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता, (नाम से)
विद्युत वितरण खण्ड,
ग्रामीण चित्रकूट, उ0प्र0।

विषय : जनपद–चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं0–76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 कि0मी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य लखनऊ) के पत्र संख्या–8 बी/यू0पी0/04/38/2018/एफ0सी0/450 दिनांक 05.10.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र को संलग्न कर अवगत कराना है कि विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सभी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार मय संलग्नक 04 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त शर्तों में शर्त सं0–1 के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे0 के दोगुने अवनत वन 51.00 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आंगणित धनराशि रू0 7428000.00 (मु0 चौहत्तर लाख अट्ठाईस हजार रू0 मात्र) व शर्त सं0–2 के अनुसार प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे0 में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (औषधीय पौधों) का वृक्षारोपण 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आंगणित धनराशि रू0 33858324.00 (मु0 तीन करोड़ अड़तीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ चौबीस रू0 मात्र) एवं शर्त सं0–3 (क) के अनुसार प्रभावित संरक्षित वन भूमि 25.5 हे0 की एन0पी0वी0 धनराशि रू0 15963000.00 (मु0 एक करोड़ उनसठ लाख तिरसठ हजार रू0 मात्र), सम्पूर्ण धनराशि रू0 57249324.00 (मु0 पांच करोड़ बहत्तर लाख उन्चास हजार तीन सौ चौबीस रू0 मात्र) को संलग्न पत्र दिनांक 14.07.2017 के अनुसार ई–पेमेन्ट पोर्टल

के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर जमा पर्ची की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

बिन्दु सं0—01 व 02 एवं 03 (क) का आगणन निम्न प्रकार है :—

बिन्दु सं0—01 प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे0 के दोगुने अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक 51.0 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि रू0 7428000.00 (मु0 चौहत्तर लाख अट्ठाईस हजार रू0 मात्र) होती है।

बिन्दु सं0—02 प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे0 में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (औषधीय पौधों) का वृक्षारोपण 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आंगणित धनराशि रू0 33858324.00 (मु0 तीन करोड़ अड़तीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ चौबीस रू0 मात्र)होता है।

बिन्दु सं0—03 (क) प्रभावित संरक्षित वन भूमि 25.5 हे0 की एन0पी0वी0 धनराशि रू0 15963000.00 (मु0 एक करोड़ उनसठ लाख तिरसठ हजार रू0 मात्र) होता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग चित्रकूट

संख्या : 1186 अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0, बाँदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कैलाश प्रकाश)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग चित्रकूट

E:\ My Works\Data\Court case Branch\Settelement-2\ Rekha 39

O/C